राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2874/2024

अनिरुद्ध शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी 55/217, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घोघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर (राजस्थान) - 305001
2. शहरी नियोजन विभाग, अपने सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादीगण

<u>इससे जुड़ी हुई</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2554/2024

गोरीशंकर सोनी पुत्र श्री राजेंद्र सोनी, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी नियर तोपखाना, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीम का थाना (पुराना जिला झुंझुनू), राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, अजमेर, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, शहरी विकास और आवास विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री संदीप पाठक के साथ
		श्री अक्षत शर्मा
		श्री नीरज कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण की ओर से	:	श्री संदीप तनेजा, एएजी
		श्री एम.एफ. बेग के लिए श्री गोविंद गुप्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित : 14/05/2024

घोषित : 11/07/2024

1. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

"i) प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी को 04.10.2022 की अधिसूचना के अनुसार एटीपी के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें;

ii) प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी को याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता यानी एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) को एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के बराबर मानने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया है;

iii) प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी को 04.10.2022 की अधिसूचना और 21.12.2023 को आयोजित काउंसलिंग के अनुसार याचिकाकर्ता का अंतिम परिणाम प्रकाशित करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें;

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

iv) 'कोई अन्य उचित निर्देश या आदेश जो इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और सही समझा जाए, वह भी विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में और न्याय के हित में जारी/पारित किया जा सकता है।"

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री संदीप पाठक, ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की मनमानी और अन्यायपूर्ण कार्रवाई से व्यथित है, जो याचिकाकर्ता को सहायक नगर नियोजक (एटीपी) के पद पर नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, और निर्धारित तिथि पर आरपीएससी द्वारा आयोजित काउंसलिंग में पहले ही भाग लेने के अलावा सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं रखता है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने जोर दिया कि प्रतिवादी 04.10.2022 की विषय अधिसूचना में उल्लिखित विशिष्ट और स्पष्ट शैक्षणिक योग्यताओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता ने विधिवत पूरा किया है और ऐसी अनदेखी के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को मनमाने ढंग से एटीपी के पद पर नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

3. कथित अवैधता और/या मनमानी को उजागर करने के लिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 04.10.2022 की अधिसूचना में उल्लिखित विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके अनुसार एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) की डिग्री या इसकी समकक्ष डिग्री को सहायक नगर नियोजक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु मान्य है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी पहलुओं को कवर करते हुए, याचिकाकर्ता के पास एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की डिग्री एम.टेक. (ट्रैफिक और

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के समकक्ष है। इसके अलावा, दो बताई गई डिग्रियों के बीच यह समकक्षता तकनीकी शिक्षा में सर्वोच्च निकाय यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इसके बाद, एआईसीटीई) द्वारा 23.10.2020 के स्पष्टीकरण के माध्यम से भी सुनिश्चित और उसके बाद पुष्टि की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एआईसीटीई ने स्पष्ट किया है कि डिग्रियों की समकक्षता का आकलन करने के लिए केवल नामकरण का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन डिग्रियों में पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, एआईसीटीई ने 23.10.2020 के स्पष्टीकरण के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि समकक्षता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त निकाय स्वयं विश्वविद्यालय या राज्य होगा। अंत में, विद्वान वकील ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि जिस विश्वविद्यालय से याचिकाकर्ता ने अपनी डिग्री प्राप्त की है, यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ने भी 22.12.2023 के पत्र के माध्यम से दोनों डिग्रियों के बीच सही समकक्षता सुनिश्चित की है।

4. इसलिए, उपरोक्त के आलोक में, श्री पाठक ने आग्रह किया कि प्रतिवादियों को डिग्रियों की समकक्षता को स्वीकार करना चाहिए था और सहायक नगर नियोजक के संबंधित पद के लिए याचिकाकर्ता की योग्यता और पात्रता को देखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए थी। नतीजतन, यह प्रार्थना की गई कि प्रस्तुत की गई प्रार्थनाओं के अनुसार यह याचिका स्वीकार की जाए।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील, श्री संदीप तनेजा, एएजी, ने प्रतिवादी-आरपीएससी के वकील की सहायता से प्रस्तुत किया कि 04.10.2022 की अधिसूचना में निहित पात्रता मानदंड पूरी तरह

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

से स्पष्ट है, जो व्याख्या/संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। इसके अलावा, भले ही कोई समकक्षता निकालने के प्रस्तावित तर्क को क्षण भर के लिए स्वीकार करे, तो **द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अन्य बनाम संदीप श्रीराम वारडे एंड अन्य शीर्षक से (2019) 6 SCC 362 और जहूर अहमद एंड अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद एंड अन्य शीर्षक से (2019) 2 SCC 404** में प्रतिपादित कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए समकक्षता सुनिश्चित करने की उचित प्राधिकारी और क्षमता नियुक्तिकर्ता/नियोक्ता के कंधों पर है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए समकक्षता के संबंध में अनुमान लगाने के क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा बहुत कम है।

6. श्री तनेजा ने आगे तर्क दिया कि एआईसीटीई द्वारा जारी 23.10.2020 की अधिसूचना/स्पष्टीकरण पर रखा गया भरोसा न्यायालय के समक्ष तथ्यों और परिस्थितियों में कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि उक्त स्पष्टीकरण खुला नहीं था और बल्कि, विशेष रूप से शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित था। इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संबंधित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के पास सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से डिग्रियों की समकक्षता निकालने और/या सुनिश्चित करने की कोई क्षमता और अधिकार नहीं था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी 22.12.2023 का पत्र प्रतिवादियों पर बाध्यकारी नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप, 04.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से बताई गई पात्रता के बिना रोजगार सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि पात्रता के पहलू को निर्णायक रूप से सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के दावे का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

समिति का गठन किया और याचिकाकर्ता को आरपीएससी के समक्ष प्रस्तुत की गई डिग्री के संदर्भ में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण अपात्र पाया।

7. उपरोक्त के आलोक में, विद्वान वकील ने निर्णायक रूप से तर्क दिया कि जब नियोक्ता की समझ के अनुसार अधिसूचना की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है और बाद में गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार भी, तो ऐसे मामले में, न्यायिक हस्तक्षेप धीमा और विरले ही स्वीकार्य होना चाहिए। नतीजतन, यह प्रार्थना की गई कि यह याचिका खारिज कर दी जाए।

8. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया गया, याचिका के रिकॉर्ड की जांच की गई और बार में उद्धृत निर्णयों को पढ़ा गया।

9. संक्षेप में, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे को घेरने वाली तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:-

9.1 प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी ने राजस्थान शहरी नियोजन सेवा नियम, 1966 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 यानी शहरी नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार के साथ नियुक्त होने के लिए सहायक नगर नियोजक के 43 पदों को अधिसूचित करते हुए 04.10.2022 की अधिसूचना जारी की।

9.2 याचिकाकर्ता एक सामान्य-पुरुष-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार है, जिसने उक्त 04.10.2022 की अधिसूचना के अनुसरण में सहायक नगर नियोजक के विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का प्रवेश पत्र जारी किया गया और परीक्षा की तिथि 16.06.2023 निर्धारित की गई।

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

9.3 याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और परिणाम 07.12.2023 को घोषित किया गया और उसके बाद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक था।

9.4 प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को 21.12.2023 को निर्धारित काउंसलिंग के बारे में सूचित किया।

9.5 याचिकाकर्ता ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया और प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया।

10. इस मामले में कारण और विवाद तब उत्पन्न हुआ जब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ता का अंतिम परिणाम प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी द्वारा इस बहाने घोषित नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता के पास एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की शैक्षणिक योग्यता 04.10.2022 की विषय अधिसूचना में बताई गई मानदंड को पूरा नहीं करती थी, जिसके लिए उम्मीदवारों को एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) में एक संबंधित डिग्री रखने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को बाहर करने के कथित अवैधता से व्यथित होकर, बाद वाले ने उपरोक्त उल्लिखित दो डिग्रियों में समकक्षता का दावा करते हुए यह याचिका दायर की है।

11. इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें सामने आई हैं, जिनका इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे के निर्णय पर सीधा असर पड़ता है, अर्थात्:-

11.1 कि 04.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से बताई गई आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएं) इस प्रकार हैं:-

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

"(i) "इंजीनियरिंग (सिविल)/वास्तुकला/नियोजन में स्नातक की डिग्री के साथ शहरी/नगर/क्षेत्रीय नियोजन/ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या नियोजन में एम.टेक. या एम.प्लान (शहरी/क्षेत्रीय/ ट्रैफिक और परिवहन/पर्यावरण या समकक्ष);
(ii) भारत में कानून द्वारा स्थापित एक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नियोजन/वास्तुकला में स्नातक की डिग्री के साथ नगर नियोजन के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव।"

11.2 कि उपरोक्त पुनरुत्पादित शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएं) खंड, कुछ स्पष्ट रूप से बताई गई डिग्रियों का प्रावधान करता है, वैकल्पिक रूप से 'समकक्ष' शब्द के साथ, जिसका अर्थ है कि कोई भी अन्य डिग्री, जो मूल्य, पाठ्यक्रम और योग्यता जैसे क्षेत्रों में समान है, उसे भी सहायक नगर नियोजक के पद पर चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

11.3 कि काउंसलिंग के बाद, याचिकाकर्ता ने संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क किया था जिसने याचिकाकर्ता को एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की डिग्री जारी की थी, यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय-कोटा, उक्त डिग्री की एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के साथ समकक्षता के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद, जवाब में, समग्र तथ्यों, दो डिग्री पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या आदि पर विचार करने के बाद, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने 22.12.2023 के पत्र/प्रमाण पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि दो उपरोक्त उल्लिखित डिग्रियां सभी उद्देश्यों और इरादों के लिए समकक्ष होंगी। उक्त पत्र/प्रमाण पत्र को अनुबंध-10 के रूप में अंकित किया गया है।

12. समकक्षता के पहलू पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि तकनीकी शिक्षा से संबंधित योग्यताओं के लिए, पर्यवेक्षी और नियंत्रक प्राधिकारी एआईसीटीई है, जिसने 28.04.2017 की अधिसूचना जारी

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

की है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में विभिन्न डिग्रियों का उल्लेख किया गया है और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त 28.04.2017 की अधिसूचना में, जिसे अनुबंध-7 के रूप में अंकित किया गया है, 'ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग' और 'ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग' में डिग्रियों के नाम एक के बाद एक उल्लेखित हैं, जो यह दर्शाता है कि उक्त डिग्रियां समकक्ष और प्रकृति में अतिव्यापी हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एआईसीटीई द्वारा जारी 23.10.2020 के स्पष्टीकरण (अनुबंध-8) पर भी जोर दिया, जिसमें यह लिखा था कि डिग्रियों की समकक्षता, नामकरण, उपयुक्तता और प्रासंगिकता के संबंध में कोई भी भ्रम राज्य या विश्वविद्यालय स्तर पर हल किया जाना आवश्यक है।

13. जवाब में, एआईसीटीई द्वारा जारी 23.10.2020 के स्पष्टीकरण की विश्वविद्यालय स्तर पर समकक्षता के लिए आवेदन का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 23.10.2020 का स्पष्टीकरण इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शिक्षण पदों और केवल पदोन्नति के लिए भर्ती हेतु डिग्रियों के निर्धारण तक सीमित है। इसलिए, उक्त स्पष्टीकरण प्रतिवादियों पर बाध्यकारी नहीं होगा, खासकर जब भर्ती सहायक नगर नियोजक के पद के लिए है, जो स्पष्ट रूप से एक शिक्षण पद नहीं है।

14. इस मोड़ पर, यह न्यायालय, अधिकांशतः, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा एआईसीटीई के 23.10.2020 के स्पष्टीकरण के संबंध में दिए गए तर्क को स्वीकार करता है कि यह केवल शिक्षण पदों और पदोन्नति के लिए डिग्रियों के निर्धारण तक सीमित है, जैसा कि 23.10.2020 के पत्र के विषय को पढ़ने मात्र से स्पष्ट हो जाता है, जिसे अनुबंध-8 के रूप में अंकित किया गया है।

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

15. हालांकि, यह कहने के बावजूद, यह न्यायालय 23.10.2020 के स्पष्टीकरण के पीछे के अंतर्निहित सार और इरादे और उस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जिसमें इसे जारी किया गया था। 23.10.2020 के स्पष्टीकरण को मात्र पढ़ने से यह पता चलेगा कि पिछले कई वर्षों से, एआईसीटीई को देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्रियों की समकक्षता के निर्धारण के संबंध में कई मुद्दों का सामना करना पड़ा था। इसलिए, विभिन्न डिग्रियों के नामकरण के संबंध में उत्पन्न अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, एआईसीटीई ने भर्ती/पदोन्नति के लिए डिग्रियों की समकक्षता, नामकरण और/या उपयुक्तता पर उक्त स्पष्टीकरण जारी किया। उक्त स्पष्टीकरण के माध्यम से, एआईसीटीई ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाठ्यक्रमों के प्रकार और पाठ्यक्रम की प्रकृति में लगातार बदलाव के कारण, डिग्रियों के नामकरण बदलते रहते हैं। संस्थान/विश्वविद्यालय अक्सर पाठ्यक्रम की अपनी स्वतंत्र समझ के अनुसार डिग्रियों का नामकरण करते हैं, भले ही उक्त पाठ्यक्रम एक अलग नाम वाली डिग्री के लिए अतिव्यापी और समान हो। इसलिए, उक्त 23.10.2020 के स्पष्टीकरण के माध्यम से, एआईसीटीई ने स्पष्ट किया कि डिग्रियों की समकक्षता, नामकरण, उपयुक्तता और प्रासंगिकता के संबंध में किसी भी भ्रम को राज्य या विश्वविद्यालय स्तर पर हल करना आवश्यक है। 23.10.2020 के स्पष्टीकरण का प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित है:-

"इसलिए, *एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों/विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों को संकाय भर्ती के साथ-साथ अन्य समकक्ष मुद्दों से उचित औचित्य के साथ सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है ताकि भर्ती या पदोन्नति के लिए आवेदनों की जांच की प्रक्रिया के दौरान इच्छुक उम्मीदवारों/कार्यरत व्यक्तियों के साथ न्याय हो सके ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ कोई अन्याय या अनुचित प्रभाव न हो। सभी संबंधितों*

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

को अब यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपरोक्त विषय पर प्रश्नों को राज्य या विश्वविद्यालय स्तर पर हल किया जाए, जबकि उपरोक्त लचीलेपन का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में इस परिषद को इस मामले में कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।"

16. इसलिए, इस तथ्य के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि उक्त स्पष्टीकरण जारी करने के पीछे का अंतर्निहित इरादा इस तथ्य को उजागर करना और सामने लाना था कि भर्ती या पदोन्नति के लिए एक उम्मीदवार की पात्रता केवल एक डिग्री के नामकरण पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के तथ्य और उक्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम आदि को ध्यान में रखना चाहिए, जो संचयी रूप से, दो डिग्रियों के बीच समकक्षता निकालने में सहायता करेगा।

17. इसलिए, 23.10.2020 के स्पष्टीकरण को जारी करने के पीछे के स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य और अति-व्यापक इरादे को अपनाते हुए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) और एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) की डिग्रियों के बीच समकक्षता का निर्धारण विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, साथ ही उसमें शामिल पाठ्यक्रम के साथ, और केवल नामकरण के आधार पर नहीं, जिसे अक्सर एक विश्वविद्यालय/संस्थान की पाठ्यक्रम की स्वतंत्र और व्यक्तिपरक समझ के आधार पर बदल दिया जाता है।

18. इस मोड़ पर, यह न्यायालय अनुबंध-10 यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) और एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) की डिग्रियों के बीच जारी समकक्षता के

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

प्रमाण पत्र पर भरोसा करना उचित समझता है। उक्त 22.12.2023 के प्रमाण पत्र को जारी करते समय, विश्वविद्यालय ने दो पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को विधिवत ध्यान में रखा, जिसमें ट्रैफिक और शहरी नियोजन, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन आदि के विषय शामिल हैं, जिससे दो डिग्रियां समकक्ष हो जाती हैं, जिसमें एकमात्र भिन्नता कारक डिग्रियों का नामकरण है। संक्षेप में, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय ने माना कि याचिकाकर्ता की डिग्री यानी एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) की डिग्री के समकक्ष होगी।

19. इसलिए, यह निर्णायक रूप से माना जा सकता है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1-आरपीएससी समकक्षता का निर्धारण करते समय डिग्रियों के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को नजरअंदाज करता है, तो अधिसूचना के शैक्षणिक योग्यता खंड में 'समकक्ष' शब्द को शामिल करने का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा, जैसा कि उक्त डिग्रियों के केवल नामकरण से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा अधिसूचना में 'समकक्ष' शब्द को शामिल करने का तथ्य डिग्रियों और उनके नामकरण की बदलती प्रकृति के तथ्य को और भी अधिक दर्शाता है, जो कुछ डिग्रियों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है जो विशिष्ट नाम वाली डिग्री शीर्षकों के तहत समान पाठ्यक्रम चलाती हैं।

20. उपरोक्त अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय यह मानना उचित समझता है कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क कि डिग्रियों की समकक्षता के पहलू पर पहले ही 08.02.2024 की रिपोर्ट/निर्णय के माध्यम से, प्रतिवादियों द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा चुका है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप को रोका जा रहा है, को

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनुबंध ए 3 और ए 4 यानी 08.02.2024 की बैठक के कार्यवृत्त और उक्त बैठक की नोट शीट को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि यह निर्णय लेने के दौरान कि एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की डिग्री एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के समकक्ष नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाया गया था। 08.02.2024 का आदेश प्रकृति में पूरी तरह से गैर-बोलने वाला है क्योंकि यह गैर-समकक्षता के impugned निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनाए गए किसी भी तर्क को प्रदर्शित नहीं करता है। 08.02.2024 के आदेश से तर्क, तर्क और/या भरोसा की गई सामग्री की एक भी फुसफुसाहट का पता नहीं चलता है। इसलिए, अनुबंध-9 यानी याचिकाकर्ता के पाठ्यक्रम के विवरण के साथ 22.12.2023 के प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए, जो उक्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम के विश्लेषण के बाद समकक्षता को प्रदर्शित करता है, यह न्यायालय एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की डिग्री एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के समकक्ष है, यह मानते हुए न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित समझता है। प्रतिवादियों द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा पारित 08.02.2024 का आदेश, जो प्रकृति में पूरी तरह से गैर-बोलने वाला है और दो पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के विचार की कोई फुसफुसाहट नहीं है, को वेडनेस्बरी के सिद्धांत का उल्लंघन कहा जा सकता है।

21. इसके अलावा, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा **संदीप श्रीराम वारडे (सुप्रा)** और **जहूर अहमद (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया भरोसा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निम्नलिखित कारणों से लागू नहीं है:-

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

21.1 उक्त निर्णय एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पारित किए गए थे।

21.2 04.10.2022 की अधिसूचना में ही स्पष्ट रूप से 'समकक्ष' शब्द को शामिल किया गया है ताकि उन डिग्रियों की समकक्षता का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त हो सके जो अधिसूचना में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।

21.3 समकक्षता के निर्धारण के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा लिया गया निर्णय तर्क और औचित्य से रहित है। डिग्रियों की समकक्षता की निंदा करने के लिए उक्त निर्णय के समर्थन में कोई निष्कर्ष शामिल नहीं किया गया है।

21.4 यह कानून की स्थापित स्थिति है कि नियोक्ता द्वारा पारित गुप्त और मनमाने आदेश तार्किक और तर्क पर आधारित विस्तृत आदेशों पर वरीयता नहीं ले सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, प्रतिवादी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, अपने निष्कर्षों के समर्थन में किसी भी तर्क और औचित्य के बिना, मनमाने निर्णय नहीं ले सकते हैं। भर्ती की शर्तों को निर्धारित करने के लिए नियोक्ता-राज्य के विवेक का प्रयोग कुछ जांच और संतुलन के साथ किया जाना है।

21.5 कि शुरू में, याचिकाकर्ता द्वारा लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद, प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ता को उसकी शैक्षणिक योग्यताओं से अच्छी तरह से अवगत होने के बावजूद, काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी थी।

22. इसलिए, संचयी रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिक्षा की दुनिया की गतिशील प्रकृति के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या स्थिर होने के बावजूद समय के साथ कुछ डिग्रियों के नामकरण में बदलाव होता है; कि संस्थान/विश्वविद्यालय अक्सर पाठ्यक्रम की अपनी

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

स्वतंत्र और व्यक्तिपरक समझ के अनुसार डिग्रियों का नामकरण करते हैं, भले ही उक्त पाठ्यक्रम एक अलग नाम वाली डिग्री के लिए अतिव्यापी और समान हो; कि 23.10.2020 के स्पष्टीकरण को जारी करने के पीछे का अंतर्निहित इरादा इस तथ्य को उजागर करना और सामने लाना था कि भर्ती या पदोन्नति के लिए एक उम्मीदवार की पात्रता केवल एक डिग्री के नामकरण पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के तथ्य और उक्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए; कि 22.12.2023 के प्रमाण पत्र के माध्यम से, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को विधिवत ध्यान में रखने के बाद, विश्वविद्यालय ने माना कि याचिकाकर्ता की डिग्री यानी एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) की डिग्री के समकक्ष होगी; कि प्रतिवादियों द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा पारित 08.02.2024 का आदेश, जो प्रकृति में पूरी तरह से गैर-बोलने वाला है और दो पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के विचार की कोई फुसफुसाहट नहीं है, को वेडनेस्बरी के सिद्धांत का उल्लंघन कहा जा सकता है; कि नियोक्ता द्वारा पारित गुप्त और मनमाने आदेश तार्किक और तर्क पर आधारित विस्तृत आदेशों पर वरीयता नहीं ले सकते हैं, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त होता है, यह न्यायालय प्रस्तुत की गई प्रार्थनाओं के अनुसार इस याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है।

23. परिणामस्वरूप, उपरोक्त अवलोकनों के आलोक में, यह न्यायालय यह मानना उचित समझता है कि सभी पहलुओं को कवर करते हुए, याचिकाकर्ता के पास एम.टेक. (ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग) की डिग्री एम.टेक. (ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग) के समकक्ष है।

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

24. तदनुसार, उपरोक्त के संदर्भ में, प्रस्तुत की गई प्रार्थनाओं के अनुसार यह याचिका स्वीकार की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायाधीश

बृज मोहन गांधी /77

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

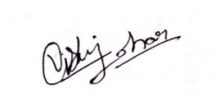

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(इस मामले में डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू./705/2024 और 3 और दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उनका संदर्भ लें)
(29/05/2025 को 04:55:06 PM पर डाउनलोड किया गया)